न्यायालय, अंचल अधिकारी, चतरा।

वाद का प्रकारः– विविधवाद

वाद सं0:–10/2023–24

मकसूद आलम, पिता–स्व0 इदरिस खलीफा,
साकिन–बिण्ड मुहल्ला, टोला–दर्जी मुहल्ला, थाना+जिला–चतरा
.................................प्रथम पक्ष

बनाम

1. गुलशन आरा, पति– मो0 जावेद अंसारी, वर्तमान पति–मोजीबुर्रहमान, पता–रहमतिया मस्जिद, रहमत नगर, चतरा।
2. मो0 साजिद, पिता– मो0 युनुस, पता– बरवाडीह, पत्थलगड़ा,
3. मो0 अफजल, पिता–करामत अली, पता–खाप, थाना+जिला–चतरा

.................................द्वितीय पक्ष

प्रश्नगत् भूमि का विवरण

मौजा–बिण्ड, थाना नं0–188 अन्तर्गत खाता नं0–67, प्लॉट सं0–240, रकवा– 0.31 ए0 एवं प्लॉट सं0–288, रकवा–0.28 ए0।

तिथि	आदेश	अभ्युक्ति
15-10-2024 C:C issued	प्रस्तुत वाद आवेदक मकसूद आलम, पिता–स्व0 इदरिस खलिफा, मौजा–बिण्ड के आवेदन पर प्रारंभ की गई है। आवेदक के कथन का सारांश है कि मौजा–बिण्ड, थाना सं0–188 अंतर्गत खाता सं0–67, प्लॉट सं0–288 एवं 240, रकबा क्रमशः 0.31 ए0 एवं 0.28 ए0 कुल रकबा–0.59 ए0 भूमि आवेदक के पूर्वज करीम खलीफा एवं शहमीर खलिफा के नाम से सर्वे खतियान मे दर्ज है। उक्त खाता का प्लॉट सं0–240 अंतर्गत आवेदक के मां मोईफन खातुन ने निबंधित केवाला के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को भूमि बिक्री की है, परंतु गुलशन आरा एवं अन्य द्वारा प्रश्नगत खाता का प्लॉट सं0–288 पर दावा किया जा रहा है। प्रस्तुत आवेदन के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्ष को अपना–अपना दावा पेश करने हेतु नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया। उभय पक्ष उपस्थित हुए। **आवेदक प्रथम पक्ष मकसूद आलम** द्वारा प्रश्नगत भूमि का अपने समर्थन में सर्वे खतियान, अपने मां द्वारा बिक्री की गई भूमि का निबंधित केवाला प्रस्तुत किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा अपने समर्थन में कहा गया कि खाता सं0–67 के अंतर्गत प्लॉट सं0–240 निबंधित केवाला के माध्यम से गुलशन आरा एवं अन्य के बीच मेरी मां मोईफन खातुन के द्वारा बिक्री की गई है, परंतु प्रतिपक्षीगण प्रश्नगत खाता का प्लॉट सं0–288 पर दावा कर	

Scanned with OKEN Scanner

रहे है एवं कुछ भाग में कब्जा कर लिया गया है।

द्वितीय पक्ष/प्रतिपक्षीगण गुलशन आरा एवं अन्य द्वारा निबंधित केवाला सं0 क्रमशः– 4429, दिनांक–03.08.2006, 4222, दिनांक–15.07.2006 एवं 4428, दिनांक–03.08.2006 प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा अपने समर्थन में कहा गया है कि विक्रेता मोईफन खातुन सो मौजा–बिण्ड, खाता सं0–67, प्लॉट सं0–240 अंतर्गत गुलशन आरा, साकिन–बिण्ड मुहल्ला ने रकबा–0.10 ए0, मो0 अफजल, साकिन–खाप ने रकबा–0.08 ए0 एवं मो0 साजिद, पिता–मो0 युनुस ने रकबा–0.10 ए0 कुल रकबा–0.28 ए0 भूमि क्रय की गई है। प्रश्नगत भूमि पर ही हमलोगो का दखल–कब्जा है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया, अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत मामला मौजा–बिण्ड, थाना सं0–188 अंतर्गत रैयती खाता सं0–67, प्लॉट सं0–240, कुल रकबा–0.28 ए0 भूमि से संबंधित है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के पूर्वज करीम खलिफा वो शहमीर खलिफा के नाम से सर्वे खतियान मे रैयती दर्ज है। उक्त भूमि की बिक्री निबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से प्रतिपक्षी के पक्ष में समय–समय पर कर दी गई, परंतु वर्तमान में प्रतिपक्षी क्रय की गई भूमि के प्लॉट सं0–240 के बदले प्लॉट सं0–288 पर अपना दावा कर रहे है। कागजातों के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि दाखिल–खारिज केस सं0–253/07–06 के अनुसार पंजी–।। के पृष्ठ सं0–75/6 पर क्रेता गुलशन आरा के नाम से खाता सं0–67, प्लॉट सं0–240, रकबा–0.10 ए0 भूमि की जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद निर्गत है। दाखिल–खारिज केस सं0–1105/07–08 के अनुसार पंजी–।। के पृष्ठ सं0–139/6 पर मो0 अफजल, पिता–करामत अली, साकिन–खाप के नाम से खाता सं0–67, प्लॉट सं0–240, रकबा–0.08 ए0 भूमि की जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद निर्गत है। दाखिल–खारिज वाद सं0–696/07–08 के अनुसार पंजी–।। के पृष्ठ सं0–109/6 पर क्रेता मो0 साजिद, पिता–मो0 युनुस के नाम से खाता सं0–67 प्लॉट सं0–240, रकबा–0.10 ए0 भूमि की जमाबंदी कायम है। उक्त से यह स्पष्ट है कि विपक्षीगण आवेदक (प्रथम पक्ष की माँ) ने खाता सं0–67, प्लॉट सं0–240, रकबा–0.28 ए0 (अठाईस डिसमिल) भूमि प्रतिपक्षीगण के साथ बिक्री की है, परंतु प्रतिपक्षीगण प्रश्नगत खाता सं0–67 का प्लॉट सं0–288, रकबा–0.31 ए0 (एकतिस डिसमिल) भूमि पर अनाधिकृत दावा कर रहे है, जबकि उनके द्वारा प्लॉट सं0–288 से संबंधित कोई वैद्य कागजात न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि विपक्षीगण के पास प्लॉट सं0–288 से संबंधित किसी प्रकार का राजस्व कागजात उपलब्ध नही है। वर्तमान में प्लॉट सं0–288, रकबा–0.31 ए0 (एकतिस डिसमिल) भूमि पर प्रथम पक्ष के दखल मे है एवं लगान का भुगतान किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक का जांच

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवेदन एवं उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आलोक में आवेदक प्रथम पक्ष का आवेदन स्वीकृत किया जाता है एवं प्रतिपक्षीगण को आदेश दिया जाता है कि निबंधित विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई भूमि खाता सं0–67, प्लॉट सं0–240 पर ही अपना दावा करेंगे। प्लॉट सं0–288 की भूमि पर द्वितीय/विपक्षीगण का स्वामित्व सिद्ध नही होता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

15/10/24

अंचल अधिकारी
चतरा।

15/10/24

अंचल अधिकारी
चतरा।

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.06.02 18:09:28 +05:30
Location: 192.168.80.63

Scanned with OKEN Scanner